कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,महोबा

पत्रांकः- 539 / C-1 दिनांकः- 21/04/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा।

विषय :– इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (किसान सेवा केन्द्र) द्वारा ग्राम–जार्डिन गंज, तहसील–चरखारी, जिला–महोबा MDR (महोबा–चरखारी मार्ग) स्थित गाटा संख्या–568, 577 पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्र संख्या–201/श0लि0–बीस–न्यू रिटेल आउटलेट/2021 दिनांक–22.10.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, हमीरपुर वृत्त, लो0नि0वि0, हमीरपुर का पत्रांक संख्या–155/14 सी0–ह0 वृ0/2020 दिनांक 06.04.2022 एवं मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र, लो0नि0वि0, बांदा का पत्रांक–691/106 याता0–बां0क्षे0/2021 दिनांक 23.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का करें जिसमें मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र, लो0नि0वि0, बांदा के पत्रांक–691/106 याता0–बां0क्षे0/2021 दिनांक 23.03.2022 द्वारा जनपद महोबा में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (किसान सेवा केन्द्र) द्वारा ग्राम–जार्डिन गंज, तहसील–चरखारी, जिला–महोबा के गाटा संख्या–568, 577 पर स्वीकृत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 (किसान सेवा केन्द्र) का न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति निर्गत की है उक्त के कम में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एतद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन, लो0नि0अनुभाग–12 के शासनादेश सं0–59/2019/1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा निर्गत नीति/मार्गदर्शक सिद्वान्त (Guidelines) "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel station along UPPWD Roads' 2019 द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण यू0पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जनपद महोबा में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (किसान सेवा केन्द्र) द्वारा ग्राम–जार्डिन गंज, तहसील–चरखारी, जिला–महोबा MDR (महोबा–चरखारी मार्ग) स्थित गाटा संख्या–568, 577 पर न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल एवं डीजल/पम्प मार्ग के मध्य से 18.29 मीटर (60.00 Feet) की दूरी के साथ स्थापित किया जायेगा।
3. उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 के अनुसार पेट्रोल पम्प स्थल से निर्धारित दूरी पर ही रोड कासिंग होनी चाहिये।
4. उक्त सुसंगत-गाईड लाइन्स–2019 के अनुसार सर्विस रोड (प्रवेश एवं निकास) का मानक के अनुसार निर्माण करना होगा। यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये। इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जा स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिए जाए।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना संलग्नक एनेक्जर–I, II, III के अन्डरटेकिंग, चेक लिस्ट तथा लाइलेन्स डीड (लोक निर्माण विभाग तथा ऑयल कम्पनी) में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जायेगा। उक्त किसी भी शर्तों के उल्लंघन पर प्रदत्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 के मानक के अनुसार बफर स्ट्रिप का निर्माण होना चाहिये। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईनबोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाये। जिससे भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हो।
7. उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 तथा ऑयल कम्पनी के अन्डर टेकिंग के अनुसार निर्धारित मानकों के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग पर न्यूनतम पेवमेन्ट कम्पोजिशन होना चहिये।

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर–208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

Scanned by TapScanner

8. उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 के मानकों के अनुसार रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग में स्लैब कलवर्ट का निर्माण करना होगा, ताकि पहुंच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के माध्यम से होते हुये रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में प्रवाहित हो सके।
9. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साईज उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 के अनुसार निर्धारित मानक से कम नहीं होना चाहिये।
10. रिटेल आउटलेट पेन्टेड एरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य लेविल विन्दु से 30 सेमी0 नीचे होना चाहिये।
11. रिटेल आउटलेट एवं नाली का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाए।
12. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
13. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
14. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से भिन्न निर्माण होने की स्थिति तथा उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जोयगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के समस्त निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
15. इस प्रकार की कोई भी स्थायी अथवा अस्थाई संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ एवं सुरक्षित यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
16. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 02 प्रतिशत होगा तथा पुलिया उक्त सुसंगत गाईड लाइन्स–2019 के मानक के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग के रख–रखाव का व्यय ऑयल कम्पनी/रिटेल आउटलेट के मालिक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही सुरक्षित रहेगा।
17. टर्निंग कर्व रेडियस न्यूनतम 13.00 मीटर तथा नान टर्निंग कर्व 1.50 मीटर से 3.00 मीटर होना चाहिये।
18. जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और रिटेल आउटलेट मालिक को स्वयं के व्यय पर निर्माण हटाना होगा।
19. मार्ग पर किसी भी प्रकार का स्पीड ब्रेकर का निर्माण न किया जाए, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।
20. रिटेल आउटलेट पम्प पर स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय की समुचित व्यवस्था एवं रख–रखाव होना चाहिए। विभाग द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
21. प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।
22. अत्याधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों/मानकों का जान–माल की व्यापक सुरक्षा के दृष्टिगत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उत्तदायित्व ऑयल कम्पनी/रिटेल आउटलेट मालिक का होगा।
23. निर्गत अनुमति की प्रति अभिलेख हेतु लोक निर्माण विभाग कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
24. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु ऑयल कम्पनी द्वारा लाइसेन्स डीड/अन्डरटेकिंग/शपथ पत्रों/बचन पत्रों के अनुसार अनुपालन करना होगा।
25. किसी भी शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

21/4/2022

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, महोबा

पत्रांकः- 539 / c-1 दिनांकः-21/04/2022

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, हमीरपुर वृत्त, लो0नि0वि0, हमीरपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, महोबा को अभिलेखनार्थ प्रेषित।

21/4/2022

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, महोबा

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

Scanned by TapScanner